91, 8423 families have been assisted in Arunachal Pradesh under I.R.D.P.

(b) For the year 1991-92 a target of assisting 15022 families was fixed for Arunachal Pradesh and 10888 families were assisted in the State.

(c) In Arunachal Pradesh due to inadeuqate banking and infrastructure facilities capital investments upto Rs. 2000 have been delinked from credit in order to have increased coverage of families. During 1992-93, seven DRDAs have been released full central share of funds in relaxation of the eligibility criterion. This is also expected to result in higher achievement under IRDP in the State.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3773. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के भारत सरकार के दो प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समूह के गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है जिनमें वे छोटे तथा सीमांत किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे है। सरकार द्वारा सबसिडी और बैंकों की मार्फत आवधिक ऋण के रूप में आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि पात्र परिवारों की गरीबी की रेखा पार करने में मदद की जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 180 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के प्रत्यक्ष और निरंतर लाभ तथा ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना भी है ताकि ग्रामीण गरीबों की गरीबी की रेखा पार करने में मदद की जा सके। आठवीं योजना के दौरान उद्देश्य पूरक रोजगार के रूप में प्रति वर्ष कम से कम 1000 मिलियन श्रमदिनों का सृजन करना होगा।

Change in Jawahar Rojgar Yojana

3774. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of Uttar Pradesh has demanded changes in Jawahar Rozgar Yojana Scheme and if so, what are the changes asked for; and

(b) whether this centraly sponsored scheme is likely to be transferred to the State Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir. Broadly, the following changes were suggested by the Government of Uttar Pradesh in the implementation of Jawahar Rozgar Yojana (JRY):—

(i) the wage and non-wage component under the Yojana be revised from 60:40

(ii) a minimum allocation be fixed for each panchayat in the state; and

(iii) JRY should be flexible so that the dovetailing of resources available under different schemes with the JRY resources is possible.

(b) At present, there is no proposal to transfer JRY to the State Governments.

Committee of Members of Parliament reviewing poverty alleviation programme

3775. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a Committee of Members of Parliament and State Legislators to

review the poverty alleviation programme in their areas; and

(b) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) The poverty alleviation programmes are implemented through District Rural Development Agencies (DRDAs) and Zilla Parishads at the district level. The DRDAs/Zilla Parishads are thus in over all charge of the planning, implementation and monitoring of the programmes. MPs and MLAs of the district are members of Zilla Parishads in most of the States and are members of the governing body of DRDA in all States.

स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्राम

3776. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामों को स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ग्रामों के नाम क्या हैं और ये किन जिलों में हैं;

(ग) इन ग्रामों में कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन कार्यों को किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 1992-93 के लिए 2.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिन्हें सरकार द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद रिलीज किया जाएगा।

(घ) घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा जन-जागरूकता कैम्पों की मार्फत महसूस की गई आवश्यकताओं का सृजन किए जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजनाएं

3777. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ग्रामीण क्षेत्र महिला और बाल विकास योजनाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में इन योजनाओं को आरंभ किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) उत्तर प्रदेश में उन जिलों की संख्या 38 है जहां ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डबाकरा) कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डबाकरा) के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या और इस्तेमाल की गई निधियां निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	बनाए गए सूमहों की संख्या (संख्या)	इस्तेमाल की गई निधियां (लाख रुपये में)
1989-90	815	118.46
1990-91	1335	93.21
1991-92	1345	119.39

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डबाकरा) के अंतर्गत नए जिलों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही संस्वीकृति जारी की जाएगी।

3778. *[Transferred to 18th December, 1992.]*